राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 401 जयपुर/2003-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि किड्स क्लब फाउंडेशन संस्था मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सोलह माह सितम्बर सन दो हजार तीन को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352
2751417

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

सब एक के लिए
एक सब के लिए

:: मुद्रक एवं विक्रेता ::
राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
जी-1/138 मालवीय इण्ड. ऐरिया, जयपुर फोन : 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थल :
राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.
पोलोविक्ट्री के पास, जयपुर-1 फोन : 2374969

किड्स क्लब फाउंडेशन समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम किड्स क्लब फाउंडेशन समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 1 सुमेर नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर है
तथा कार्यक्षेत्र तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान, ~~सम्पूर्ण भारत~~ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

[1] प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन।

[2] तकनीकि शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं आर्थिक विकास तथा पर्यावरण व जनसंख्या तथा महिला शिक्षा का विशेष आयोजन।

[3] ग्रामीण विकास एवं सामाजिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संयोजन।

[4] महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

[5] आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों, बाल श्रमिकों, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पारम्परिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान का संचालन एवं प्रबंधन।

[6] पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक स्वास्थ्य, जागरुकता शिविर आदि विषयों के ज्ञान से समाज को अवगत कराना एवं गोष्ठियों का आयोजन।

[7] ललित कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विकास।

[8] विभिन्न समुदायों में सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास।

[9] विश्व एवं भारत में कार्यरत विभिन्न समउद्देशीय संस्थाओं के कार्यक्रमों में सहयोग देना एवं सहयोग प्राप्त करना। साथ ही साथ योजनाओं एवं उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

[signature] अध्यक्ष

[signature] मन्त्री

ज्योती कोषाध्यक्ष

Nimisha

(7) Siddhi

(8)

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
(1)	डॉ० एस० डी० मिश्रा / पु० रघु मिश्रा	सेवानिवृत	7 C-11 जवाहर नगर जयपुर	अध्यक्ष
(2)	डॉ० टी० सी० पाठक / स्व० श्री चिंतामणी पाठक	निदेशक शिक्षण संस्थान	1 सुमेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड जयपुर	महासचिव
(3)	ज्योति खण्डूजा पु० मोहनलाल खण्डूजा	शिक्षण	प्लॉट नं० 62 गौरी-विहार, मानसरोवर जयपुर-20	कोषाध्यक्ष
(4)	निमिषा तिवारी / के सी तिवारी	शिक्षण	106/73 छत्रपति मार्ग, विजय पथ, मानसरोवर जयपुर	सदस्य
(5)	इंद्रा अलवानी / श्री दौलत राम	शिक्षण	10/508 कावेरी पथ मानसरोवर, जयपुर 20	सदस्य
(6)	श्री दिनेश त्यागी / श्री राजवीर सिंह	आर्किटेक्ट	बी-59, पूजा पथ निर्माण नगर, जयपुर	सदस्य
(7)	निधि फुलेरा / डा० के० के० फुलेरा	पर्यावरण वैज्ञानिक	सी० 18 सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर	सदस्य
(8)	श्री मयंक पाण्डे / श्री एस० के० पाण्डे	कम्प्यूटर विशेषज्ञ	म० नं० 70 मानस नगर-कॉलोनी - लखनऊ	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री ज्योति कोषाध्यक्ष

Indra (7) Nidhi (8)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
[1]	डॉ० एस० डी० मिश्रा / पं० रघु मिश्रा	सेवा निवृत प्रोफेसर	7 ट-11 जवाहर नगर जयपुर	[signature]
[2]	डॉ० टी० सी० पाठक / स्व० चिंतामणी पाठक	निदेशक शिक्षण संस्थान	1-सुमेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर	[signature]
[3]	ज्योति खण्डूजा /	शिक्षण	प्लाट नं० 65/321 हीरापथ, गौरी विहार मानसरोवर जयपुर-20	ज्योती
[4]	इंद्रा आलवानी	शिक्षण	10/508 ग्रेटरी पथ, मानसरोवर जयपुर-20	Indra
[5]	निमिशा तिवारी	शिक्षण	106/73 छत्रपति मार्ग विजय पथ मानसरोवर जयपुर	Nimisha
[6]	श्री दिनेश त्यागी / श्री ... सिंह	आर्किटेक्ट	बी-59 ... निर्माण नगर जयपुर	[signature]
[7]	निधि फुलेरा / डॉ० के० के० फुलेरा	पर्यावरण वैज्ञानिक	सी० 18 सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर	Nidhi
[8]	श्री मयंक पाण्डे / ... पाण्डे	कम्प्यूटर विशेषज्ञ	म० नं० 70, मानस नगर-कॉलोनी, लखनऊ	[signature]
[9]	श्री ज्ञान प्रकाश सिंह / डा. आर.पी. सिंह	शिक्षण	सी 6 अनीता कोलोनी	[signature]
[10]	रेनु प्रकाश / ज्ञान प्रकाश	शिक्षण	"	रेनु

[signature] अध्यक्ष

[signature] मन्त्री

ज्योती कोषाध्यक्ष

Indra Nimisha (7) Nidhi (8) [signature]

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR CITY

1. हस्ताक्षर (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

किड्स क्लब फाउंडेशन समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम किड्स क्लब फाउंडेशन समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 1 सुमेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान, ~~सम्पूर्ण भारत~~ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

[1] प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन।

[2] तकनीकि शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं आर्थिक विकास तथा पर्यावरण व जनसंख्या तथा महिला शिक्षा का विशेष आयोजन।

[3] ग्रामीण विकास एवं सामाजिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संयोजन।

[4] महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

[5] आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों, बाल श्रमिकों, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पारम्परिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान का संचालन एवं प्रबंधन।

[6] पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक स्वास्थ्य, जागरुकता शिविर आदि विषयों के ज्ञान से समाज को अवगत करना एवं गोष्ठियों का आयोजन।

[7] ललित कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विकास।

[8] विभिन्न समुदायों में सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास।

[9] विश्व एवं भारत में कार्यरत विभिन्न समउद्देशीय संस्थाओं के कार्यक्रमों में सहयोग देना एवं सहयोग प्राप्त करना। साथ ही साथ कार्यक्रमों एवं उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री ज्योती कोषाध्यक्ष

Indra Nimisha (7) Nidhi (8) [illegible]

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक	2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय	4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि रु0 -1000/-	वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ठ	राशि रु0 500/-	वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय	राशि.........	वार्षिक
4-साधारण	राशि रु0 101/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु......................
की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर
2-त्याग पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।
3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

ध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें : 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने प विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारि स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की को आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन कर पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वा समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किय जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1. अध्यक्ष–एक
2. उपाध्यक्ष–एक
3. मन्त्री–एक
4. कोषाध्यक्ष–एक
5. सदस्य–~~सात~~ पांच

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......03 (तीन)...... पदाधिकारी व ......05 (पांच)...... सदस्य कुल ..08 (आठ).. सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मन्त्री ज्योति कोषाध्यक्ष

(7) Nidhi (8)

14. कार्यकारिणी की की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

1-बैठकों को आहूत करना।
2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3-बैठकें आहूत करना।
4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मन्त्री :

1-बैठकें आहूत करना।
2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6-पत्र व्यवहार करना।
7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

(7)   (8)

5- **कोषाध्यक्ष :**

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1- अध्यक्ष......10000......रु.

2- मन्त्री......5000......रु.

3- कोषाध्यक्ष......2000......रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं......जयपुर......को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)......किड्स क्लब फाउंडेशन......समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

(7) Nidhi (8) [illegible]

Registration No. : 401 - Jaipur 2003-04

Phone : 0141-2785795
Mobile : 9351153383

Kids Club Foundation

House No. 1, Indralok Enclave, Sumer Nagar Vistar, Opp. Dhanwantari Hospital,
New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan

(Registration under Rajasthan Societies Registration Act 1959, Govt. of Rajasthan)

Ref.:

Date : ....

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में परिवर्धित (नया नियम)
१	पेरा ३ (संस्था के उद्देश्य) उपधारा १० एंव ११	–	१) "समिति हेतू कोई चल व अचल सम्पत्ति अधिग्रहित करने, भूमि क्रय करने, भवन निर्माण तथा समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू अल्पकालीन अथवा दीर्घकाल ऋण यथोचित नियम व शर्तो पर प्राप्त करना तथा चल अथवा अचल सम्पत्ति को सम्पूर्ण अथवा कोई अंश बन्धक रखना अथवा समिति हेतू धन लेने अथवा वित्तिय सहायता प्राप्त करना और वित्तीय सहायता की प्राप्ति करना और संस्था के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय सहायता लेना ।" २) "समिति की समस्त आय, चल अथवा अचल सम्पत्ति समिति विधान में वर्णित कार्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतू सम्पूर्ण रूप से प्रयोग एवं उपयोग में लायी जायेगी तथा कोई लाभ समिति के वर्तमान अथवा निवर्तमान सदस्यों अथवा अन्य कोई व्यक्ति/व्यक्तियों जो अपने को सदस्य अथवा निवर्तमान सदस्य कहता है को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभांश, लाभ अथवा अन्य किसी रूप में अदा अथवा स्थान्तरित नहीं किया जायेगा । इस सदस्यता के द्वारा कोई सदस्य समिति की चल अथवा अचल सम्पत्ति पर अपना व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा अथवा इस पर व्यक्तिगत लाभ अर्जित नहीं कर सकेगा ।"

S. D. Mishra

डा० एस. डी. मिश्रा

अध्यक्ष

Monisha Pathak

श्रीमती मोनिषा

कोषाध्यक्ष

डा० तारा चन्द्र पाठक

सचिव

Dinesh

दिनेश तिवारी

सदस्य

मनीष मांडलिक

सदस्य

दिनेश त्यागी

सदस्य